

न्यायालय - नायब तहसीलदार टीकोला, तह.शाहपुरा (भीलवाड़ा)

पार्श्वनाथ, शाहपुरा 8982699481

प्रकरण संख्या 333/18

निर्णय दिनांक 30/11/18

सरकार बजरिये पटवारी

हल्का

पिरडिम

उनवान

श्री

शांति

बनाम

पुत्र श्री

रामपाल

जाति

कामर

निवासी

रानापुर

- प्रार्थी

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम-1954

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प.ह. पिरडिम ने इस आशय की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम रानापुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1200 रकबा 0:28 पर दौराने संवत् 2025 रबी/खरीफ में अनाधिकृत रूप से फसल कब्जा काशत कर अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर एल.आर. एक्ट, 1956 की धारा 91(3)/राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम,1954 की धारा 22(3) का नोटिस जारी किया गया जो विधिवत तामील करवाया जाकर संलग्न पत्रावली करवाया गया।

अप्रार्थी उपस्थित जिसने हस्ब रिपोर्ट प.ह. अपना कब्जा होना स्वीकार किया/अनुपस्थित जिससे अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

मैंने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड से अतिक्रमण स्थल अप्रार्थी के नाम नियमन योग्य होना नहीं पाया जाता है। अतः अप्रार्थी को ग्राम रानापुर स्थित चरागाह/बिलानाम आराजी खसरा नम्बर 1200 रकबा 0:28 से तुरन्त बैदखल किये जाने, फसल जप्त सरकार कर निलाम किए जाने व शास्ति लगान 2034 का 50 गुणा 150 अधिरोपित कर वसूलने का आदेश दिया जाता है। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी हल्का को लिखा जावे। पत्रावली में मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावे। बाद तामील तकमील पत्रावली फैसल शुमार हो।

नॉम क्लॉक की कार्यवाही/रजिस्ट्रार  
1. रजि. सं. 4 के पृष्ठ सं. 69  
पर लिखे 150/ रजि. किये  
तहसील राजस्व लेखाकार  
2018-19

नायब तहसीलदार  
टीकोला, तह.शाहपुरा (भीलवाड़ा)